

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) का कार्यालय, मध्य प्रदेश
ऑडिट भवन, ग्वालियर

दिनांक: 30.05.2024

कार्यालय आदेश/ Office Order 33

इस कार्यालय में पदस्थ सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है दिनांक 01.06.2024 से सभी अवकाश एवं Children Education Allowance/Telephone Allowance/Newspaper Allowance आवेदनों पर कार्यवाही केवल eHRMS के माध्यम से ही की जाएगी अतः सभी कार्मिक अपने आवेदन eHRMS पर ही प्रस्तुत करें | अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों मान्य नहीं किये जायेंगे |

इस सम्बन्ध में एक online प्रशिक्षण दिनांक 31.05.2024 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जायेगा जिसमें सभी कार्मिक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

महालेखाकार महोदया के अनुमोदन से जारी।

हस्ता/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर |
2. उप महालेखाकार/ ए.एम.जी.- 1, 2, 3, 4 एवं 5
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ ए.एम.जी.- 1, 2, 3, 4 एवं 5 (मुख्या), फास-एम., प्रशासन-12, 13, 14, गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष, हिंदी कक्ष, आई.एस. विंग, रिपोर्ट- (1, 2 एवं पी.ए.सी.), आई.टी.ए. |
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई.एस. विंग को इन्टरनेट एवं इंट्रानेट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित |
5. श्री नरेश आहूजा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन-14 को इन्टरनेट एवं इंट्रानेट से सम्बंधित कार्य हेतु |
6. महामंत्री, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी एसोसिएशन |
7. महामंत्री, एस.ए.एस. (ऑडिट) वेलफेयर एसोसिएशन |
8. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन |
9. गार्ड फाइल |
10. सूचना पटल |


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ प्रशासन- 11